तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
२४/९/१९	पत्रावली पेश हुई।	

प्रार्थीगण अधिवक्ता उप0। विप्रार्थी संख्या 5 पैरोकार उप0।

उभय पक्ष को सुना।

प्रार्थी ने इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम– हकीम की बस्ती, पटवार हल्का शिव, तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 1102/798 रकबा 75.00 बीघा व मौजा पिथोरा नगर के खेत खसरा नम्बर 1096/797, 1090/795 रकबा 58.00, 36.00 बीघा भूमि अवस्थित है।

प्रार्थीगण ने उक्त भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र से क्रय की है उक्त भूमि को क्रय करते समय प्रार्थी का नाम जीयाराम बैचान पत्र मे भूलवंश लिखवा दिया गया जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम जगदीश पंवार दर्ज है। उस समय पंजीबद्ध विक्रय पत्र के साथ पहचान के दस्तावेजात अनिवार्य नहीं होने से प्रार्थी का नाम बैचान दस्तावेज मे जगदीश पंवार के स्थान पर जीयाराम दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थीगण का सही नाम जगदीश पंवार है। अतः प्रार्थीगण ने राजस्व रेकर्ड में अपने नाम को शुद्विकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग ने वकालात नामा मय इकबाली जवाब प्रस्तुत कर आवेदन के तथ्यो में अपनी सहमति जाहिर की तथा विप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार शिव ने अपने जबाव मे प्रार्थीगण के नाम को दुरूस्त किये जाने मे अपनी अनापति जाहिर की है। प्रार्थीगण ने अपने आवेदन के समर्थन में दस्तावेजात नकल आधार कार्ड, पेनकार्ड,ड्रईविंग लाईसेन्स, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो तथा विप्रार्थीगण के जवाब का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम जगदीश पंवार ही है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम हकीम की बस्ती के खेत खसरा नम्बर 1102/798 रकबा 75.00 बीघा व मौजा पिथोरा नगर के खेत खसरा नम्बर 1096/797 रकबा 58.00 बीघा एवं खसरा नम्बर 1090/795 रकबा 36.00 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए प्रार्थी का नाम जीयाराम के स्थान पर जगदीश पंवार किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 13:30:21 IST
Reason: SelfAttested